

(7)

2023/45

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”

(राज. भू अधिनियम, 1956 की धारा 136)

09/23

06/2/23

उपखण्ड अधिकारी महोदय
मावली, जिला-उदयपुर

विषय : राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम मावली

जमाबन्दी संवत् 2077-80 खाता संख्या 859 में -

मुझ शर्मा का नाम तपेश पिता वैणीराम धोबी है। मेरे सम्स्त राजस्वीय दस्तावेज यथा, आधार कार्ड, वोटर I.C., मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड में भी मेरे पिता का नाम वैणीराम धोबी है किन्तु मेरे पिता का नाम वैणा धोबी है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त मावली की खाता संख्या 859 में मेरे पिता का नाम तपेश पिता वैणीराम दर्ज किया जाने की कृपा करें।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

तपेश

प्रार्थी

स्थान :
दिनांक :



रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदयजी, निवेदन है कि प्रार्थी श्री लक्ष्मण पिता वेणीराम
 छोटी निवासी मावली के नाम राजाराम गणक मावली की पत्नी
 संवत् 2077-80 के खाता संख्या 859 में लक्ष्मण पुत्र वेणा के नाम
 प्रार्थी को दस्तावेजों में नाम लक्ष्मण पिता वेणीराम छोटी के नाम
 गणक - मावली की पत्नी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 859 में लक्ष्मण पुत्र वेणा
 पिता वेणा के नाम लक्ष्मण पुत्र वेणीराम छोटी के नाम लक्ष्मण पुत्र वेणा के नाम लक्ष्मण पुत्र वेणा के नाम लक्ष्मण पुत्र वेणा के नाम

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

राजाराम रिपोर्ट पटवारी हल्का मावली व भू.अ.नि. मावली
 की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी लक्ष्मण पुत्र वेणा छोटी का
 6.2.23 नाम लक्ष्मण पुत्र वेणा छोटी के बजाय राजाराम पिता
 में लक्ष्मण पुत्र वेणा उर्फ वेणीराम छोटी के नाम लिखे जाने की
 अनुशंसा की जाती है।

6.2.23
 तहसीलदार (भू.अ.) मावली
 जिला-उदयपुर (राज.)

आदेश

तहसीलदार मावली व पटवारी-पटवार हल्का मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर
 मौजा मावली प. ह. मावली की खाता सं. 859 में लक्ष्मण पुत्र वेणा के
 बजाय लक्ष्मण पिता वेणा उर्फ वेणीराम किया जाने की अनुशंसा की।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया।
 प्रार्थी द्वारा अपने प्र. पत्र के समर्थन में 50/- रु स्टाम्प पर शपथ पत्र, ग्रामपंचायत मावली द्वारा
 प्रस्तुत प्रमाण पत्र, परिचय पत्र पेश कर लक्ष्मण पिता वेणा गलत होने से सही किया जाने
 का निवेदन किया। (अन: दस्तावेज, पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आणेदार
 का नाम गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता है।) (अन: उपरोक्त विवेचन के
 आधार पर मौजा मावली प. ह. मावली की खाता सं. 859 में खलेदार लक्ष्मण पुत्र वेणा के बजाय
 लक्ष्मण पुत्र वेणा उर्फ वेणीराम किया जाने का आदेश दिया जाता है।) तहसीलदार मावली को
 पालना हेतु लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल सुधार डोकर नम्बर से कर है।

निर्णय खुले न्यायालय अनुयाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 (एस.डी.ओ.) मावली
 उपखण्ड अधिकारी
 मावली

